संख्या-22/2015/1128/94-2-2015-700(289)/2015

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 14 सितम्बर, 2015

विषय:- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में टोल टैक्स संग्रह करने हेतु स्थापित टोल टैक्स प्लाजा से सम्बन्धित निष्पादित विलेख/अनुबन्ध पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में यह अवगत कराया जाना है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना प्रवर्तन इकाई, द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के राष्ट्रीय राजमार्गो पर अनेक टोल प्लाजा स्थापित एवं संचालित हैं, जिनके संचालन तथा टोल संग्रहण के लिए विभिन्न संस्थाओं/कम्पनियों के पक्ष में अनुबन्ध/ प्राधिकार पत्र निष्पादित किये गये है, जिनमें प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित संस्थाओं से प्रतिफल/किरायेदारी को कोई अन्य नाम देते हुये अनुबन्ध किया गया है। इस प्रकार के अनुबन्ध भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-2(16) से आच्छादित हैं, जिन पर अधिनियम की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-35 के अधीन स्टाम्प शुल्क देय है।

2. इस सम्बन्ध में विभागीय समीक्षा बैठकों में अधिकारियों के द्वारा यह तथ्य संज्ञानित कराया गया है कि प्राधिकरण द्वारा उक्त प्रकार के विलेख (Instruments) निष्पादित किये गये हैं, जिन पर उपर्युक्तानुसार स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया गया है, जिससे राज्य सरकार का राजस्व हित, विपरीत रूप से प्रभावित हुआ है।

3. इस सम्बन्ध में आपको यह भी अवगत कराया जाता है कि मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की पूर्ण पीठ द्वारा रिट याचिका संख्या-51979/2005 विनेन्द्रनाथ उपाध्याय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में निम्नवत् आदेश पारित किये गये है:-

"We are of the considered view that the instrument which has been registered is an instrument of lease which amounts to an

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

instrument relating to immovable property with its extended meaning as contained under section-2(16) (c) of the Indian Stamp Act, 1899"

4. इसके अतिरिक्त मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या-1894/2011 उत्तराखण्ड राज्य व अन्य बनाम हरपाल सिंह रावत में पारित अपने निर्णय दिनांक 17-02-2011 में इस प्रकार के विलेखों को पट्टा विलेख मानते हुए उस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1 (ख) के अनुच्छेद-35 के अनुसार स्टाम्प शुल्क की देयता निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में निम्न आदेश पारित किये गये है:-

"In Banney Khan's case, the Special Bench of the Allahabad High Court was called upon to consider whether the lease executed between Municipal Board, Ujhani and the appellant authorizing the latter to collect toll form the premises known as "New Sabzimandi" was a lease falling under Section 2(16) of the Act was chargeable under Article 35(b) of Schedule I-B. The Special Bench referred to the definition of lease, the judgments of the Full Bench in Burmah Shell Oil Storage and Distributing Co. Ltd. Of India AIR 1933 All 735 and the Andhra Pradesh High Court in Panchayat Samiti v. Smt. Kethavarapu Kanamma AIR 1973 AP 72 and observed:

"……A casual reading of the definition of "lease" indicates that any instrument by which tolls of any description are let comes within the definition of this term. What is, therefore, to be seen is whether the document is an instrument by which tolls of any description are let. In our opinion the agreement before us comes clearly within the language quoted above. This is a document by which all lands and buildings known as "new Subzi Mandi" have been made over by the owners thereof to the applicant for a period of one year. He is entitled to realize fee from occupiers thereof at certain rates in consideration of a sum fixed by public auction. This "letting of tolls" and the document is covered by Section 2(16) (c) of the Stamp Act. It is needless to say that the word "toll" used in this sub-section means any sum of money which is taken in respect of some benefit, the benefit being the temporary use of land, that is, fares and market tolls. It includes all payments or taxes made by persons who frequent the market for the sale of any commodity or anything which by practice or custom is expected to be sold in the market. This document is signed both by the lessor and the lessee. Therefore, it can hardly be doubted that it is an instrument by which

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

collection of tolls is let and is lease within the meaning of Section 2(16) of the Stamp Act and is chargeable with Stamp Duty under Article 35(b) Schedule I-B of the U.P. Stamp (Amendment) Act, 1962……"

In Uppalapati Durga Prasad v. Executive Engineer (R&B) (supra), a Division Bench of the Andhra Pradesh High Court considered a similar question in the context of an agreement signed by the parties in the matter of collection of toll. While rejecting the argument of the writ petitioner that he was not liable to pay stamp duty under Article 35(b) read with Section 2(16) of the Act, the Division Bench observed:

"On bare reading of the section it becomes clear that all leases with respect to immovable property would be leases in terms of Section 2(16) but in addition to leases of immovable property in other three categories there would also be lease under category (c) in which any instrument by which tolls of any description are let would be a lease for the purpose of Section 2(16). The instrument by which right to collect toll is conveyed has to be treated as lease for the purposes of Stamp Act. Right to collect toll will never in any circumstances involve immovable property. Basically toll is collected for using a road or bridge and as such neither the road nor the bridge is leased out, only the right to collection is leases out and this right of leasing out the collection is 'lease' for the purposes of Stamp Act……."

In our view, the aforementioned judgments of the Allahabad and Andhra Pradesh High Courts represents the correct legal position on the applicability of Article 35(b) of Schedule I-B of the Act."

5. उपर्युक्त विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों से यह स्पष्ट है कि टोल से सम्बन्धित प्रलेख भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-2(16) (सी) से आच्छादित पट्टा विलेख हैं, जिन पर उक्त अधिनियम की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-35 के अनुसार स्टाम्प शुल्क प्रभार्य है।

6. विभागीय समीक्षा बैठकों में यह तथ्य संज्ञान में आया है कि जनपदों में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा टोल प्लाजा की स्थापना कर टोल कर का संग्रह किये जाने हेतु संस्थाओं को प्राधिकृत किया गया है, लेकिन ऐसे प्राधिकार पत्र/विलेखों पर संस्थाओं द्वारा उपर्युक्तानुसार स्टाम्प शुल्क अदा नहीं किया जा रहा है। कतिपय प्रकरणों में योजित स्टाम्पवाद में इस प्रकार के विलेखों को लाइसेन्स विलेख मानते हुये उन पर अदा रू० 100/- के स्टाम्प शुल्क को ही पर्याप्त मानते हुये आदेश पारित किये गये है, जो विधिक प्रावधानों एवं न्यायिक निर्णयों के सर्वथा विपरीत है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अत: आपसे अपेक्षा की जाती है कि कृपया अपने जनपद में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा स्थापित टोल प्लाजा से सम्बन्धित विलेख/प्राधिकार पत्र/अनुबन्ध की प्रति प्राप्त कर नियमानुसार स्टाम्पवाद योजित कराकर स्टाम्प वसूली करायें तथा कृत कार्यवाही से शासन एवं कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश लखनऊ को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-22/2015/1128/94-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर, 2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह अपने क्षेत्र में स्थित टोल प्लाजा से सम्बन्धित विलेख/अनुबन्ध पत्र/ अधिकार पत्र की प्रति राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से सम्बन्धित प्रोजेक्ट मैनेजर से प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना प्रवर्तन इकाई, विकास खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी को, जिनके क्षेत्राधिकारान्तर्गत टोल संग्रह हो रहा है, को विलेख/प्राधिकार पत्र/अनुबन्ध की प्रति तत्काल उपलब्ध करायें।

(सुधीन्द्र कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।